न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्याः— 61/2023

प्रार्थीगणः— 1. जितेन्द्र पुत्र श्री प्रेमसिंह
2. बेबी पत्नी श्री प्रेमसिंह
जातियान माली, निवासीगण — सुभाष चौक, सूरसागर, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी</u>

—::आदेश::— दिनांकः— 18/12/23

उपस्थितिः— 1. श्री अशोक परिहार, श्री तेजमल राका, व चन्द्रपकाश सोनी अधिवक्तागण प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री दिनेश जोशी राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खरीदशुदा कृषि भूमि खसरा सं. 10/2/1 रकबा 25 बीघा वाके ग्राम गोलासनी, तह. व जिला जोधपुर में आयी हुई है, जिसका नामा. सं. 206 में इन्द्राज किया गया है। उपरोक्त भूमि का मूल खसरा 10/2 रकबा 49.18 बीघा वाके ग्राम गोलासनी तह. व जिला जोधपुर में खातेदार प्रेम सिंह पुत्र भंवरलाल दर्ज है। खातेदार द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि में से 25 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थीगण को किए जाने के बाद से प्रार्थीगण का ही मौके पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों की टंकन त्रुटि से वादग्रस्त भूमि के राजस्व नक्शें में खसरा सं. 10/2/1 व खसरा सं. 10/5 इन्द्राज कर दिया । इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र पत्र तहसीलदार जोधपुर को दिनांक 13.10.2023 को दिया गया। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक बागा द्वारा उपरोक्त खसरान के बारे में रिपोर्ट के पैरा सं. 4 में लिखा गया कि तत्समय कार्यरत. पटवारी द्वारा जमाबंदी चौसाला संवत् 2061 से 2064 बनाते समय दो समान बट्टामें 10/2/1 होने से खातेदार री जितेन्द्र पिता प्रेमसिंह, बेबीदेवी पत्नी प्रेमसिंह के नाम खाता सं. 21 में खसरा सं. 10/2/1 के स्थान पर 10/5 खाते में अंकित किया गया है एवं नक्शा लठा में भी तरमीम खसरा सं. 10/2/1 व 10/5 दोनों ही नंबर अंकित किए गए है एवं खाता सं. 87 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लिफ्ट केनाल जोधपुर में खसरा नं. 10/2/1 रकबा 2.12 बीघा गैरमूमकिन नहर के नाम से दर्ज है। अग्रिम कार्यवाही हेतु लिखा गया। भू अभिलेख निरीक्षक बागा द्वारा दिनांक 13.10.2023 के प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 10.11.2023 को न्यायालय हाजा में प्रेषित किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में ग्राम गोलासनी के खसरा सं. 10/2, 10/2/1 व 10/5 की जांच कर स्पष्टीकरण देने के संबंध में लिखा गया तथा ग्राम गोलासनी की जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 के खाता सं. 43 में खसरा नंबर 10/2 रकबा 49.19 बीघा प्रेमसिंह पुत्र भंवरलाल के नाम से दर्ज है। नामा. सं. 206 बेचान से जितेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह व बेबी पत्नी प्रेमसिंह के नाम से खसरा सं. 10/2 में से खसरा सं.

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

10/2/1 रकबा 25 बीघा दर्ज हुआ है। खाता सं. 82 में खसरा सं. 10/2/1 रकबा 2.12 बीघा किस्म गैरमुमकिन नहर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लिफ्ट कैनाल जोधपुर के नाम से दर्ज है। जमाबंदी चौसाला संवत् 2061 से 2064 बनाते समय दो समान बट्टा नंबर 10/2/1 होने से खातेदार जितेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह बेबी पत्नी प्रेमसिंह के नाम से खाता सं. 21 में खसरा सं. 10/2/1 के स्थान पर 10/5 अंकित कर दिया गया। नक्शा लठ्ठा में खसरा सं. 10/2/1 व 10/5 दोनों ही अंकित है। वर्तमान जमाबंदी में खसरा सं. 10/5 दर्ज है, जबकि नामा. सं. 206 में बेचान से नया खसरा सं. 10/2/1 दर्ज है। चूंकि वर्तमान में DILRMP के तहत तीन अंकों के बट्टा नंबर दर्ज नहीं किए जा सकते, अतः नाम. सं. 206 एवं नक्शा लठा में खसरा सं. 10/5 की जाने की अनुशंसा की गई है। दिनांक 10.11.2023 के पत्र क्रमांक भूअ/सम/2023/8746 के आधार पर दिनांक 10.11.2023 के पत्र में खातेदार को प्रेषित प्रतिलिपि दी गई। उसके बावजूद भी तहसीलदार जोधपुर द्वारा रिकोर्ड को दुरुस्त नहीं किए जाने से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 10. 11.2023 को प्रेषित पत्र की अनुशंषा में इसे स्वीकार फरमाया जाकर नियमानुसार प्रार्थीगण के कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबंद व नक्शा लठा में दुरूस्त किया जावे व उसी अनुसार प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गोलासनी की जमाबंदी 2057–60 के खाता सं. 43 में ख.स. 10/2 रकबा 49.19 बीघा प्रेमसिंह पुत्र भंवरलाल के नाम दर्ज है। नामा. सं. 206 बेचान से जितेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह, बेबीदेवी पत्नी प्रेमसिंह के नाम खसरा सं. 10/2 खसरा सं. 10/2/1 रकबा 25 बीघा दर्ज हुआ। खाता सं. 82 में खसरा सं. 10/2/1 रकबा 2.12 बीघा किस्म गै.मु.नहर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) लिफ्ट केनाल जोधपुर के नाम दर्ज है। जमाबंदी चौसला संवत 2061–64 बनाते समय दो समान बट्टा नंबर 10/2/1 होने से खातेदार जितेंद्र पुत्र प्रेमसिंह, बेबीदेवी पत्नी प्रेमसिंह के नाम खाता सं. 21 में खसरा सं. 21 में खसरा सं. 10/2/1 व 10/5 दोनों ही अंकित है। वर्तमान जमाबंदी में खरस नं. 10/5 दर्ज है जबकि नामा. सं. 206 में बेचान से नया खसरा सं. 10/2/1 दर्ज है। तहसीलदार द्वारा नामा. सं. 206 एवं नक्शा लट्ठा में खसरा सं. 10/5 करने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्षकारान विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि नामा. सं. 206 बेचान से जितेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह, बेबीदेवी पत्नी

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

प्रेमसिंह के नामा. सं. 10/2 खसरा. सं. 10/2/1 रकबा 25 बीघा दर्ज हुआ। खाता सं. 82 में खसरा सं. 10/2/1 रकबा 2.12 बीघा किस्म गै.मु.नहर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) लिफ्ट केनाल जोधपुर के नाम दर्ज है। जमाबंदी चौसला संवत 2061–64 बनाते समय दो समान बट्टा नंबर 10/2/1 होने से खातेदार जितेंद्र पुत्र प्रेमसिंह, बेबीदेवी पत्नी प्रेमसिंह के नाम खाता सं. 21 में खसरा सं. 21 में खसरा सं. 10/2/1 व 10/5 दोनों ही अंकित है। वर्तमान जमावंदी में खरस नं. 10/5 दर्ज है जबकि नामा. सं. 206 में बेचान से नया खसरा सं. 10/2/1 दर्ज है। चूंकि DILRMP के तहत अंकों के बट्टा नंबर दर्ज नहीं किए जा सकते है। अतः नामान्तरकरण संख्या 206 एवं नक्शा लठ्ठा में खसरा सं. 10/5 करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर की अनुशंषा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 206 एवं नक्शा लठ्ठा में खसरा सं. 10/5 कर राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अंकन किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं।

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 18/1/23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)